



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail - [eicpwwd@nic.in](mailto:eicpwwd@nic.in)

पत्रांक 292/08(41040)/20

देहरादून, दिनांक 8 जून, 2020

**: कार्यालय ज्ञाप :**

इस कार्यालय द्वारा पूर्व ही निर्दिष्ट है कि उच्च स्तर एवं अधीनस्थों द्वारा प्रेषित मेल को सम्बन्धित अनुभागों द्वारा खोली जायेगी। परन्तु देखने में आ रहा है कि आदेशों को अनुपालन नहीं हो रहा है।

अतः पुनः निम्नवत् निर्दिष्ट किया जाता है कि प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न एवं सांयकाल मेल खोलकर सम्बन्धित को प्रस्तुत करेंगे।

1. शासन/विधानसभा/भारत सरकार के स्तर से प्रेषित समस्त मेल को अधोहस्ताक्षरी के स्टाफ, मुख्य अभियन्ता स्तर-। (नियोजन), मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान) के वैयक्तिक सहायक/स्टाफ द्वारा खोले जायें तथा अधिकारियों को प्रस्तुत किये जायेंगे।
2. अधीनस्थों से प्राप्त समस्त मेल मुख्य प्रशासनिक अधिकारी-प्रथम/द्वितीय तथा सम्बन्धित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन खोलकर अपने अधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे।
3. लेखा वर्ग/प्राविधिक वर्ग में तैनात स्टाफ अपने से सम्बन्धित मेल पूर्ववत् स्वयं खोलेंगे।

उच्च स्तर एवं अधीनस्थ स्तर से प्राप्त अत्यन्त महत्वपूर्ण मेल सम्बन्धित अधिकारियों के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किये जाय।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

80/-

( हरि ओम शर्मा )  
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता स्तर-। (नियोजन)/(अधिष्ठान)/क्वालिटी कन्ट्रोल, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/रा0मा0, लोक निर्माण विभाग को इस आशय से प्रेषित कि महत्वपूर्ण प्रेषित मेल के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को दूरभाष पर भी सूचित करना सुनिश्चित किया जाय।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु।
4. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (अधिष्ठान)/(नियोजन)/क्वालिटी कन्ट्रोल, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
6. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी-।/।।, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
7. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
8. समस्त वैयक्तिक सहायक, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
9. लेखा/प्राविधिक वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय।

प्रमुख अभियन्ता  
लोक निर्माण विभाग  
0.6.20